पत्रांक-बजट-37-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 1139 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनॉक // 28/11 2019

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0),
वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

अवगत कराना है कि विभाग में लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित प्रकरण, जो निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी को प्रेषित किये जाते है, जिसका निस्तारण बीमा कम्पनी के स्तर से किया जाता है। प्रायः देखा गया है कि बहुत से प्रकरण, जो बीमा शर्तो के अनुसार समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किये जाते है, उनका भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा प्रकरण को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रकरण को निरस्त कर दिया जाता है। बीमा कम्पनी से हुई शर्तो के अनुसार यदि कोई प्रकरण निर्धारित अवधि के पश्चात् अज्ञानता वश समय से प्रस्तुत नही किया जा सका, को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर कमिश्नर, महोदय के स्तर से ऐसे मामलों में विलम्बित अवधि को माफ किये जाने की छूट प्रदान की जाती है, जो बीमा कम्पनी को मान्य होगा, तत्पश्चात् प्रकरण पुनः निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में कमिश्नर, महोदय द्वारा मौखिक रुप से निर्देश दिये गये है कि पूर्व में, जो प्रकरण बीमा कम्पनी को समय से प्रस्तुत नही किये जा सके है, उन प्रकरणों में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) से संलग्न प्रारुप में संस्तुति प्राप्त की जाए।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में, जो प्रकरण विलम्बित अवधि के हो, उन प्रकरणों में संलग्न प्रारुप के अनुसार संस्तुति करके अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विलम्बित अवधि के प्रकरणों की संस्तुति का प्रारुप
मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, जो वाणिज्यकर विभाग उ0प्र0 में लागू है, के संबंध में

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

विषय :- वाणिज्यकर विभाग, उ0प्र0 के पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत विलम्बित अवधि के प्रकरणों पर पालिसी शर्तो के अनुसार संस्तुति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचित करना है कि निम्न पंजीकृत व्यापारी की **हत्या /** दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता / आंशिक विकलांगता हो गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. मृतक पंजीकृत व्यापारी का नाम ....
2. हत्या / दुर्घटना की तिथि एवं संक्षिप्त विवरण ....
3. मृत्यु की तिथि ....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4- विकलांगता का प्रतिशत ....
(साक्ष्य स्वरूप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
5. फर्म का नाम / पता ....
6. पंजीयन संख्या ....
7. खण्ड ....संभाग ....जोन.................................
8. बीमा क्लेम के अर्ह दावेदार का नाम एवं मृतक से संबंध ....
9. प्रथम बार दावा प्रस्तुत करने की तिथि--------------------------------
10. विलम्ब का कारण --
11. दावेदार द्वारा विलम्बित अवधि को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र देने की तिथि-----------------------

प्रश्नगत प्रकरण में दावेदार द्वारा बीमा प्रकरण अज्ञानता / अपरिहार्य परिस्थित के कारण समय से दावा प्रस्तुत नही किया जा सका। पालिसी शर्तो के अनुसार विलम्बित अवधि को माफ किये जाने का अधिकार कमिश्नर, महोदय को प्राप्त है, जिसके क्रम में विलम्बित अवधि को माफ किये जाने की मेरे द्वारा संस्तुति की जाती है।

संलग्नक :- दावेदार द्वारा प्रदत्त प्रार्थना पत्र की प्रति/मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
विकलांगता के सम्बन्ध में साक्ष्य।

भवदीय

( )
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्यकर,
..........................संभाग, ...